

3/2020

पत्ताचली पेश डेही वादी एवं उनके अतिभाषक
को विधिवत आवाज दिलवाई गई किन्तु
कोई भी उत्तर नहीं। अतिभाषक प्रतिवादी को
भी उत्तर नहीं। अतः वाद वादी अदालत
द्वारा, अदालत परी इबादीज सिना जाता
है। डिफेंडी जारी है। पत्ताचली फं एल शुगर
दोका कम्पन से काम है।

Ante
अध्याय अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (मीलबाड़ा)

डिक्री व मुकदमा इस्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाफा दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

जिला श्री मति: शेरा वीधक 2115

- दुकीलाल 5/0 कगनाम वनाम श्री गोपाल 5/0 21 पाक 5 नि. शाहपुरा
वाकफि - शाहपुरा
- पाडी
- 2- मोहन 5/0 21 पाक 5
 - 3- रामरतन 5/0 कगनाम
 - 4- सत्यानाथ 5/0 भागीरथ
 - 5- देवी 5/0 कल्याण कंधार
 - 6- कर्दमा लाल 5/0 रामकास
 - 7- कालू 5/0 काकु
 - 8- श्रीकिशन 5/0 लाडू
 - 9- बलू 5/0 देवकिशन
 - 10- लाडू 5/0 बालू
 - 11- तहसीलदार शाहपुरा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89, 183, 88-89, 188 BTA - प्रतिवादीगत

मुकदमा नम्बर 200 सन् 15 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिव मुदई व मिनजानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :-

वादवादी आम्र हजरी, कडम घेरी रवाही ज किया जाता है

मिन मुबलिया, बावत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसधी सालाना आज तारीख से तारीख द
सूलयाबी तक अदा करें ।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 3 माह 2 सन् 2020



Handwritten signature and official stamp of the court officer.